

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), पाली

क्रमांक: 3021

दिनांक: 29/10/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/2082/PAL/0010723

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अधिशेषा सहित प्राप्त निम्न बाढ़ के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 000-1 दिनांक 10.10.2022 अर्थात् 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (0000) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार बाढ़ से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का पवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का पवरण	देय सहायता राशि
1	00/0000/2025/100345	नाम: Beeja Ramपिता का नाम: Bheema Ramजिला: पाली	85 सरगरो का बास साजी, साजी, रोहट, पंचायत समिति -रोहट, ग्राम पंचायत -सोनाईलाखा, गांव - साजी	16/07/2025	बाढ़	00	400000
योग							400000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-111-(02)-[01]1-2

जिला कलेक्टर  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
पाली

# आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

## राजस्थान सरकार

प्रतिगणन निकायगतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पाली।
7. रोकडपाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
पाली

Signature valid

Digitally signed by Laxmi Narayan Mantri

Date: 2025.10.31 17:36:36 IST

Reason: SelfAttested

Location:

